संख्या- 10/2017/एस0ई0-873/दस-2017-आ-11/11

प्रेषक,

संजीव मित्तल
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- प्रमुख सचिव,
ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।

2- आयुक्त
ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ

3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक: 02 नवम्बर, 2017

विषय - ग्राम्य विकास विभाग में तैनात लेखा संवर्ग के लेखाकार/सहायक लेखाकारो को जनपद के अन्दर केवल ग्राम्य विकास विभाग के दूसरे कार्यालयों में स्थानान्तरण कर तैनात किये जाने का अधिकार जिलाधिकारी को प्रतिनिधानित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) के दसवे प्रतिवेदन (भाग-6) में वित्त विभाग के अन्तर्गत आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 28-11-2011 के क्रम में वित्त (सेवायें) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 19-06-2012 द्वारा विभिन्न विभागों में उपलब्ध अधीनस्थ लेखा संवर्ग के सहायक लेखाकार, लेखाकार एवं सहायक लेखाधिकारी तथा लेखा परीक्षा संवर्ग के लेखा परीक्षक, वरिष्ठ लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाधिकारी के पदों पर चयन, नियुक्ति तथा स्थानान्तरण एवं चयनित अभ्यर्थियों का आवंटन सम्बन्धित विभाग की आवश्यकतानुसार किये जाने का अधिकार निदेशक आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय को दिये गये तथा अधीनस्थ लेखा संवर्ग की सेवा नियमावली 2014 प्रख्यापित करते हुये निदेशक आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय को नियुक्ति प्राधिकारी बनाया गया है।

2- ग्राम्य विकास विभाग में आ रही स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु ग्राम्य विकास विभाग के अनुरोध पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त ग्राम्य विकास विभाग में तैनात लेखा संवर्ग के लेखाकार/सहायक लेखाकारो की तैनाती जिलाधिकारी को जनपद के अन्दर केवल ग्राम्य विकास विभाग के दूसरे कार्यालयों में स्थानान्तरण कर तैनात किये जाने का अधिकार प्रतिनिधानित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय
संजीव मित्तल
प्रमुख सचिव।

संख्या- 10/2017/एस0ई0-873(1)/दस-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निदेशक, आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा को उनके पत्र दिनांक 08-09-2017 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
कृष्ण दयाल वर्मा
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in